राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 30/01/2024 को संपन्न 510वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स खोगसा क्रशर स्टोन क्वारी, (प्रो.– श्री छबीलाल पटेल), ग्राम–खोगसा, तहसील–बसना, जिला–महासंमुद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2854)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453262 एवं 01/12/2023	
खदान का प्रकार	पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.46 हेक्टेयर एवं 2,542.8 टन (978 घनमीटर) प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	39(पार्ट)	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।

बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विद्याचरण भास्कर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 39 क्षेत्रफल – 1.46 हेक्टेयर क्षमता – 2,418 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 16/01/2017 वैधता अवधि – 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–महासमुन्द भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – नहीं **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 05/12/2023 :– 01/01/2017 से 31/12/2017 में 220 घनमीटर 01/01/2018 से 31/12/2018 में 1,006 घनमीटर 01/01/2019 से 31/12/2019 में 529 घनमीटर 01/01/2020 से 31/12/2020 में 1,275 घनमीटर 01/01/2021 से 30/06/2021 में 575 घनमीटर 01/07/2021 से 30/09/2021 में निरंक 01/10/2021 से 31/03/2022 में 375 घनमीटर 01/04/2022 से 30/09/2022 में 200 घनमीटर 01/10/2022 से 31/03/2023 में 750 घनमीटर 01/04/2023 से 30/09/2023 में निरंक	समिति द्वारा नोट किया गया कि वर्ष 2018 एवं वर्ष 2020 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि वित्तीय वर्ष अनुसार उत्पादन आंकड़े जारी क्षमता से अधिक नहीं है। समिति का मत है कि वित्तीय वर्ष अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आंकड़ों की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खोगसा दिनांक 25/01/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/08/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 05/12/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 05/12/2023	हॉस्टल – 20 मीटर तालाब – 175 मीटर सागरपाली से जमदरहा मार्ग – 125 मीटर
लीज डीड	लीज धारक–श्री छबीलाल पटेल, अवधि–08/11/2010 से 07/11/2040	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल महासमुंद द्वारा जारी दिनांक 03/01/2024	वन परिक्षेत्र से दूरी – 331 मीटर से 667 मीटर दूर बारनवापारा अभ्यारण्य 14 कि.मी. दूर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खोगसा 100 मीटर अस्पताल – 460 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग – 16 कि.मी. राज्यमार्ग – 4.65 कि.मी.	छोटा मौसमी नाला 250 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैन्युअल ड्रिलिंग – हां ब्लास्टिंग – नहीं **पूर्व रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 1,62,645 टन माईनेबल 52,884 टन रिकव्हरेबल 47,595 टन **वर्तमान रिजर्व** माईनेबल रिजर्व 40,066 प्रस्तावित गहराई 12 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 16 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 1,856.4 टन द्वितीय 1,879.8 टन तृतीय 2,394.6 टन चतुर्थ 2,402.4 टन पंचम 2,418 टन षष्ठम 2,425.8 टन सप्तम 2,433.6 टन अष्टम 2,441.4 टन नवम 2,457 टन दशम 2,542.8 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 1,945 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 400 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,76,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र		परियोजना से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.46 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
50	2%	1	Following activities at, **Village- Sagarpali**	
			Plantation at Private Land	3.13
			Total	**3.13**

सी.ई.आर. के अंतर्गत निजी भूमि में वृक्षारोपण (नीम, आम, कटहल, जामुन, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 500 नग पौधों के लिए राशि 33,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,57,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,56,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सागरपाली के निजी भूमि (खसरा क्रमांक 19(पार्ट), रकबा 0.025 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत निजी भूमि के स्थान पर ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) शासकीय भूमि में वृक्षारोपण अथवा तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वित्तीय वर्ष अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आंकड़ों की जानकारी तथा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत निजी भूमि के स्थान पर ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) शासकीय भूमि में वृक्षारोपण अथवा तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. ऊपरी मिट्‌टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्‌टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश), ग्राम–जावंगा, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2941)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 454721 एवं 14/02/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.4 हेक्टेयर एवं 76,751.95 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	287	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30 /01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रंजित कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 287 क्षेत्रफल – 1.40 हेक्टेयर क्षमता – 76,753 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 24/07/2018	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2033 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 24/01/2024 वर्ष 2017–18 में 3,105.15 टन वर्ष 2018–19 में 72,432.31 टन वर्ष 2019–20 में 76,078.62 टन वर्ष 2020–21 में 74,328.00 टन वर्ष 2021–22 में 74,572.50 टन वर्ष 2022–23 में 75,306.00 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत जावंगा दिनांक 15/12/2001	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/08/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 08/12/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 08/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 145 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान में लीज धारक – श्री टी. रमेश अवधि – 01/04/2013 से 31/03/2033	पूर्व में लीज धारक – श्री विनय कुमार गुप्ता लीज डीड हस्तांतरण – दिनांक 20/07/2027
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 19/03/2002	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – जवांगा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – जवांगा 1 कि.मी. अस्पताल – जवांगा 1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 145 मीटर राज्यमार्ग – 5 कि.मी.	डंकिनी नदी 5.3 कि.मी. तालाब 300 मीटर रोड ब्रिज 900 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 8,74,727 टन माईनेबल 3,95,527 टन रिकव्हरेबल 3,75,560 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 76,749.3 टन द्वितीय 76,751.95 टन तृतीय 76,749.3 टन चतुर्थ 76,749.3 टन पंचम 76,749.3 टन

	बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 6 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,315 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,000 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,72,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 1.4 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29.9	2%	0.59	Following activities at Nearby Govt middle School, **Village- Javanga**	
			Plantation	0.59
			Total	**0.59**

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव कार्य हेतु राशि 6,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुयार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश) को ग्राम–जावंगा, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा के खसरा क्रमांक 287 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर, क्षमता–76,751 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स टिपरूंग ब्रिक अर्थ क्ले क्वारी, (प्रो.– श्री चन्द्रहास साहू), ग्राम–टिपरूंग, तहसील–कसडोल, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2954)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 455563 एवं 15/12/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.09 हेक्टेयर एवं 2,876.56 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।

खसरा क्रमांक	7/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि श्री चन्द्रहास साहू के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि **(क्षमता 1,437.1 घनमीटर के स्थान पर क्षमता 2,876.56 घनमीटर)** होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने के कारण से ऑनलाईन आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स गणपति मेटल्स एवं मिनरल्स (केवटीनटोला आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–केवटीनटोला, तहसील–कांकेर, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2971)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 456015 एवं 22/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.62 हेक्टेयर एवं 50,115 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	655(पार्ट)	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शैरी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर खसरा क्रमांक – 655 क्षेत्रफल – 1.62 हेक्टेयर क्षमता – 27,405 टन/वर्ष दिनांक – 21/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–उत्तर बस्तर कांकेर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12/06/2037 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 216 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल

		नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन		विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत केवटीनटोला दिनांक 06/08/2003	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन		क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
500 मीटर	दिनांक 30/11/2023	अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 1, क्षेत्रफल 1.6 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 30/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 150 मीटर की दूरी पर ग्रामीण मार्ग एवं तालाब स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री गणपति मेटल्स एंव मिनरल्स अवधि–13/06/2007 से 12/06/2037	पूर्व में लीज श्री मोहम्मद आरिफ के नाम पर थी।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 08/12/2006	मिश्रित प्रजाति के वृक्षारोपण की दूरी 1/2 कि.मी. की दूरी पर है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – केवटीनटोला 250 मीटर स्कूल – केवटीनटोला 250 मीटर अस्पताल – चिलहटी 4.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 15.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.9 कि.मी.	तालाब – 150 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ जियोलॉजिकल 5,81,360 टन माईनेबल 3,53,314 टन रिकव्हरेबल 3,17,982 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (8 मीटर हील एवं 10 मीटर सतह से गहराई) बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7.05 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं।	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 50,115 टन द्वितीय 50,115 टन तृतीय 50,115 टन चतुर्थ 50,115 टन पंचम 50,076 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,050 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	आवेदित क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 3.5 घनमीटर	जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 765 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,62,575 रूपये
शपथ पत्र		शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.22 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
13.5	2%	0.27	Following activities at, **Village-Kewatintola**	
			Plantation at Govt. Land	4.00
			Total	**4.00**

सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में

वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् किये गये वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) का फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. क्वारी प्लान अनुमोदन पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाए।
4. विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव डी.पी.आर. सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. खदान क्षेत्र के आस–पास में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स छाटा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती रीता सिंह), ग्राम–छाटा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2969)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 456199 एवं 22/12/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.65 हेक्टेयर एवं 20,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 16	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश चंद्र सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दुर्ग पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता

	खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 16 क्षेत्रफल – 1.65 हेक्टेयर क्षमता –20,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 21/02/2017	दिनांक 18/11/2031 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 28/12/2023 वर्ष 2016–17 में 2,747 टन वर्ष 2017–18 में 2,400 टन वर्ष 2018–19 में 11,951 टन वर्ष 2019–20 में 3,013 टन वर्ष 2020–21 में 17,980 टन वर्ष 2021–22 में 15,500 टन वर्ष 2022–23 में 3,000 टन	पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई है, खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वर्ष 2016–17 में 2,747 टन उत्खनन किया गया है। अतः विगत वर्ष 2016–17 में किये गये उत्पादन की माहवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत छाटा दिनांक 03/11/2010	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 22/12/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 28/12/2023	65 खदानें, रकबा 145.473 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 28/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – श्रीमती रीता सिंह अवधि – दिनांक 19/11/2001 से 18/11/2031 तक।	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 16(पार्ट) के समीपस्थ दूरी पर ग्राम गोड़पेन्ड्री के खसरा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372 एवं 373 के कुल रकबा 1.97 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग, वन मण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 24/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वन क्षेत्र से दूरी – 50 कि.मी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – छाटा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – सेलूद 4.4 कि.मी. अस्पताल – सेलूद 4.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 13 कि.मी. राज्यमार्ग – 1 कि.मी.	महानदी – 12.5 कि.मी. सेलूद नहर–400 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय	संलग्न है।

	संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 6,98,000 टन माईनेबल 2,82,125 टन रिकव्हरेबल 2,68,019 टन प्रस्तावित गहराई 19 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 17 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,783 टन द्वितीय 6,058 टन तृतीय 8,550 टन चतुर्थ 12,826 टन पंचम 13,538 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,830 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं।
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – टैंकर	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	1,695 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,70,700 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 147.123 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the month wise previous year from 2016-17 production detail from the mining department.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट (अचानकपुर लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर–श्री मनीष सोमानी), ग्राम–अचानकपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2989)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 444802 एवं 07/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.849 हेक्टेयर एवं 14,955 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 425	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुनील ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 425 क्षेत्रफल – 0.849 हेक्टेयर क्षमता –14,955 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 21/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–दुर्ग पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02/09/2039 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 12/12/2023 वर्ष 2018–19 में 5,448 टन वर्ष 2019–20 में 2,680 टन वर्ष 2020–21 में 1,066 टन वर्ष 2021–22 में 7,800 टन वर्ष 2022–23 में 3,900 टन वर्ष 2023–24 (सितम्बर 2023) में 650 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत अचानकपुर दिनांक 27/05/2009	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन		क्वारी प्लान का कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
500 मीटर	दिनांक 12/12/2023	65 खदानें, रकबा 146.274 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 12/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री मनीष सोमानी अवधि–03/09/2009 से 02/09/2039	पूर्व लीज धारक– श्री राजकुमार साहू लीज हस्तांतरण – दिनांक 11/06/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 425(पार्ट) के समीपस्थ दूरी पर ग्राम गोंडपेन्ड्री के खसरा क्रमांक 363, 364/2, 365/2, 367/2, 367/3, 368, 369, 370, 371, 372 एवं 373 के कुल रकबा 1.97 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग, वन मण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 24/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

	गई है। वन क्षेत्र से दूरी – 50 कि.मी.	
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – अचानकपुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – अचानकपुर 1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 11.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.5 कि.मी.	तालाब 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 2,06,133 टन माईनेबल 40,508 टन रिकव्हरेबल 40,508 टन प्रस्तावित गहराई 14 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 4 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 14,955 टन द्वितीय 14,955 टन तृतीय 10,000 टन चतुर्थ 4,965 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,710 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर मात्रा – 930 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 930 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1,288 वर्गमीटर उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किया जाएगा।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,259 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,36,980 रूपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 147.123 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन की जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the covering letter of mining plan approval (with issue date).

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order

to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री राम मिनरल्स (खोपली क्वार्ट्ज माईन, पार्टनर– श्री ललित अग्रवाल एवं श्री नीरज जैन), ग्राम–खोपली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2976)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 456572 एवं 23/12/2023	

खदान का प्रकार	क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.66 हेक्टेयर एवं 30,059.65 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	583	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री नीरज जैन, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – क्वार्ट्ज (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 583 क्षेत्रफल – 4.66 हेक्टेयर क्षमता –30,059.65 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 19/01/2018 वैधता अवधि – 18/01/2023	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–महासमुंद भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की बैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/01/2024 तक वैध थी।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – नहीं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 30/11/2023 वर्ष 2017 में निरंक वर्ष 2018 में निरंक वर्ष 2019 में 5,200 टन वर्ष 2020 में 3,750 टन 01/01/2021 से 30/09/2021 में 6,785 टन 01/10/2021 से 31/03/2022 में 4,815 टन 01/04/2022 से 30/09/2022 में 4,488 टन 01/10/2022 से 31/03/2023 में 4,900 टन 01/04/2023 से 30/09/2023 में 2,850 टन	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत खोपली दिनांक 01/04/2016	संलग्न है।

उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/01/2017	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 30/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 30/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं लगभग 100 मीटर की दूरी में जलाशय अवस्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स श्री राम मिनरल्स, पार्टनर– श्री ललित अग्रवाल एवं श्री नीरज जैन अवधि – दिनांक 07/07/2018 से 06/07/2068 तक।	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुंद द्वारा जारी दिनांक 17/11/2009	वन क्षेत्र से दूरी – 1 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – सोनापुरी 520 मीटर स्कूल ग्राम – बागबाहरा 4.3 कि.मी. अस्पताल – बागबाहरा 4.3 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 22.92 कि.मी. राज्यमार्ग – 24.97 कि.मी.	नाला–380 मीटर तालाब–65 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स** – जियोलॉजिकल 9,46,819 टन माईनेबल 7,48,072 टन रिकव्हरेबल 6,73,265 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 22 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 30,008 टन द्वितीय 30,051 टन तृतीय 30,059.7 टन चतुर्थ 30,051 टन पंचम 30,051 टन षष्ठम 30,048.1 टन सप्तम 30,056.3 टन अष्टम 30,049.1 टन नवम 30,052 टन दशम 30,057.9 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – लगभग 7,414 वर्गमीटर	उत्खनित – हां माईनिंग प्लान में उल्लेख – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 2 मीटर मात्रा – 6,855.22 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

जल आपूर्ति	मात्रा – 10 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से।	ग्राम पंचायत खोपली से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,520 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,85,968 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.66 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
64	2%	1.28	Following activities at Nearby, **Village- Khopli**	
			Plantation around the pond	5.20
			Total	**5.20**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलताश आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 4,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,49,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,64,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खोपली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 585, क्षेत्रफल 0.93 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

> **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स बजरंग बली क्रशर (पार्टनर– श्री दीपक अग्रवाल, अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2978)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 456808 एवं 27/12/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.62 हेक्टेयर एवं 85,000 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	645 एवं 646	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 645, 646 श्री बजरंग बली क्रशर	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सूरज खेतान, पार्टनर उपस्थित हुये। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक –645 एवं 646 क्षेत्रफल – 3.62 हेक्टेयर क्षमता – 85,000 दिनांक – 26/02/2018 वैधता अवधि – 5 वर्ष	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– रायपुर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25/02/2024 तक वैध है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 750 नग
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन		विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत धनसुली दिनांक 12/07/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/12/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	87 खदानें, रकबा 177.926 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 200 मीटर के भीतर सड़क एवं नाली स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक– मेसर्स बजरंग बली क्रशर अवधि – दिनांक 27/03/2018 से 26/03/2048 तक	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम अकोलडीह खपरी के खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए

	671, 672 एवं 673 के कुल रकबा 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022 मोहरेंगा नेचर सफारी से आकाशीय दूरी – 18 कि.मी. बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 66 कि.मी. एवं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की आकाशीय दूरी – 282 कि.मी. है।	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 1.5 कि.मी. अस्पताल रायपुर 4.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.7 कि.मी. राज्यमार्ग – 4.9 कि.मी.	खारून नदी 19.45 कि.मी. तालाब – 1 कि.मी. नहर – 1.5 कि.मी. नाला – 1.20 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविघता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 26,24,500 टन माईनेबल 11,64,695 टन रिकव्हरेबल 11,06,461 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 84,978 टन द्वितीय 84,987 टन तृतीय 85,000 टन चतुर्थ 84,896 टन पंचम 84,966 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,493 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 4,200 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – रास्ते से सुरक्षित दूरी 50 मीटर छोड़ने के कारण।	संलग्न है।
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.25 मीटर मात्रा – 1,221.75 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 1,221.75 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।	मोटाई – 0.75 मीटर मात्रा – 3,665.25 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा।

जल आपूर्ति	मात्रा – 8 घनमीटर प्रतिदिन स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	7.5 मीटर माईन बाउंड्री में 1,290 नग एवं गैर माईनिंग क्षेत्र (4,200 वर्गमीटर) में 467 नग, इस प्रकार कुल 1,757 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	वर्तमान वृक्षारोपण – 700 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 1,057 नग
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 181.546 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स श्री मां महासर लाईम स्टोन (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 434164/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर, 2023 से प्रारंभ किया गया है। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी की जा रही है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई. ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे समिति सहमत हुई।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स कदमपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन अग्रवाल), ग्राम–कदमपाल, तहसील–बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2986)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 23,264 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	815/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती कावित्री देवी तिर्की), ग्राम–चंगोरी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2631)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 439225 एवं 04/08/2023 ई.डी.एस. – 14/08/2023 जानकारी प्राप्ति – 03/11/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.176 हेक्टेयर एवं 15,069 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	196/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 196/2 आवेदक के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री प्रदीप कुमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चंगोरी दिनांक 25/01/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 21/07/2023	संलग्न है।

500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	28 खदानें, क्षेत्रफल 30.375 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं 50 मीटर की दूरी में नाला स्थित है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक – श्रीमती कावित्री देवी तिर्की दिनांक – 21/02/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, सरगुजा वन मण्डल, अम्बिकापुर द्वारा जारी दिनांक 13/11/2020	वन क्षेत्र से दूरी – 3 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान /वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चंगोरी 700 मीटर स्कूल ग्राम – चंगोरी 2.7 कि.मी. अस्पताल – अम्बिकापुर 22.4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 10.9 कि.मी.	तालाब – 1.55 कि.मी. रिजर्वायर – 15 कि.मी. गागर नदी – 370 मीटर नाला – 50 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 1,93,375 टन माईनेबल 1,06,687 टन रिकव्हरेबल 1,01,353 टन प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 15,058 टन द्वितीय 15,039 टन तृतीय 15,005 टन चतुर्थ 15,020 टन पंचम 15,069 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,160 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.20 मीटर मात्रा – 886 घनमीटर **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –** 450 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 130 वर्गमीटर खुदे हुए क्षेत्र को बैकफिल किया जाएगा। शेष 436 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।	ओव्हर बर्डन मोटाई – 0.80 मीटर मात्रा – 3,544 घनमीटर **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –** आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को कॉन्सेप्चुअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा।

जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 624 नग किया जाना है।	संलग्न है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 31.551 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 06 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit DPR of restoration plan and do

remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स पुटपुरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री उमेश बर्मन), ग्राम–पुटपुरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2742)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 446404 एवं 03/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1/1(पार्ट) एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुटपुरा दिनांक 31/10/2017	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 26/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 26/10/2023	संलग्न है।

500 मीटर	दिनांक 26/10/2023	2 खदानें, क्षेत्रफल 16.99 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 26/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री उमेश कुमार बर्मन दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पुटपुरा 1.25 कि.मी., स्कूल ग्राम– पुटपुरा 1.5 कि.मी. अस्पताल– पलारी 15.1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 13.3 कि.मी. राज्यमार्ग– 15 कि.मी.	तालाब 1 कि.मी. नाला 540 मीटर नहर 2.45 कि.मी. एनिकट 5.75 कि.मी. रोड पुल 1.70 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 740 मीटर, न्यूनतम 620 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 274 मीटर, न्यूनतम 264 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 194 मीटर, न्यूनतम 181 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 195 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,820 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.1 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत धमनी द्वारा सहमति प्राप्त	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,875 रूपये

	भूमि (खसरा क्रमांक 1473/6, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

ii. **Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.**

iii. **Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.**

iv. **Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.**

v. **Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.**

vi. **Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.**

vii. **Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.**

viii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

ix. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स मलपुरी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री पदम कुमार डडसेना), ग्राम–मलपुरी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2746)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 451533 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–502(पार्ट) एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचनां दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुरारी डिडवानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत मलपुरी	संलग्न है।

एन.ओ.सी.	दिनांक 25/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री पदम कुमार डडसेना दिनांक – 28/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार, वन मण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 29/01/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 349.83 मीटर वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा – 34 कि.मी. टाईगर रिजर्व उदंती–सीतानदी – 143 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– मलपुरी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम– जुनवानी 3.8 कि.मी. अस्पताल– पलारी 16.8 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 14.7 कि.मी. राज्यमार्ग– 30.4 कि.मी.	तालाब 1.15 कि.मी. नाला 590 मीटर नहर 2.8 कि.मी. एनीकट 12.2 कि.मी. रोड पुल 16.75 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1090 मीटर, न्यूनतम 947 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 534 मीटर, न्यूनतम 524 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 191 मीटर, न्यूनतम 187 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 153 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.15 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.15 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 2,000 नग किया जाना है। शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 499/1 का रकबा 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 22,75,875 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for river side plantation.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vi. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vii. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

viii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

ix. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

x. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स छेछर सेण्ड माईन (प्रो.– श्री आकाश अग्रवाल), ग्राम–छेछर, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2747)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर.– 446223 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1 एवं महानदी	संलग्न है।

नदी		
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री आकाश अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 03/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/11/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 03/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री आकाश अग्रवाल दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 23/01/2024	वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 222 से दूरी – 7 कि.मी. वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा – 30.34 कि.मी. टाईगर रिजर्व उदंती–सीतानदी – 179.6 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–छेछर 800 मीटर स्कूल ग्राम–छेछर 880 मीटर अस्पताल–शिवरीनारायण 11.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–7.8 कि.मी. राज्यमार्ग–8.65 कि.मी.	ग्रामीण कच्चा मार्ग–840 मीटर नहर–1.1 कि.मी. तालाब–1.2 कि.मी. नाला–2.35 कि.मी. एनीकट–12.8 कि.मी. रोड पुल–3.25 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1,465 मीटर, न्यूनतम 1,350 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 640 मीटर, न्यूनतम 631 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 167 मीटर, न्यूनतम 117 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 580 मीटर, न्यूनतम 450 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.23 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की	

	मात्रा–1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.23 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर गुणा 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 2,000 नग किया जाना है। शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 173/1/क का रकबा 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 22,54,875 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 14.9 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

ii. **Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.**

iii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for mining.

iv. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for river side plantation.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vii. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

viii. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.

ix. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

x. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.

xi. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी), ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2156)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–6,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के केशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने

वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।

2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।
5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षो से स्वीकृत है।
6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।
8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/01/2023 के माध्यम से शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. क्रमांक 117 ऑफ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार E. Action Takes Report के बिन्दु क्रमांक 1 में "The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarry's i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha Village Hastinapur) and M/s Hrikesh Tiwari (Khasra No. 525, area 1.0 ha. Village, Domnapara)." तथा बिन्दु क्रमांक 4 में "Accordingly, in compliance of Environmental Rules, no further action is required." का उल्लेख है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65904/ 2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/432126/ 2023, दिनांक 05/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंस प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- उर्दना आरक्षित वन 900 मीटर, राबो आरक्षित वन 2.3 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 2.5 कि.मी. एवं बरकाछार आरक्षित वन 3.2 कि.मी. की दूरी पर है।
- लाखा संरक्षित वन 1.7 कि.मी., खारिडुंगरी संरक्षित वन 3.8 कि.मी., दुंगापानी संरक्षित वन 4.4 कि.मी., केराडुंगरी संरक्षित वन 5.5 कि.मी., बरिला संरक्षित वन 6.3 कि.मी., पूंजीपथरा संरक्षित वन 6.5 कि.मी., चिरवानी संरक्षित वन 7.1 कि.मी., जुनवानी संरक्षित वन 7.6 कि.मी. एवं पझर संरक्षित वन 8.7 कि.मी. की दूरी पर है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area in %
1.	Plant Area	1.20	21.8
2.	Raw Material Storage yard	0.50	9.0
3.	Product Storage yard	0.40	7.2
4.	Solid Waste Storage yard	0.30	5.4
5.	Internal Roads	0.50	9.0
6.	Greenbelt Area	1.83	33.0
7.	Water Reservoir and RWH	0.10	1.8
8.	Parking Area	0.70	12.8
Total		**5.53**	**100**

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री उत्तम कुमार अग्रवाल, श्री पुष्कर लाल अग्रवाल एवं श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पार्टनर हैं।

4. **रॉ–मटेरियल** –

S.No.	Raw Material		Quantity (In TPA)	Sources	Mode of Transport
1.	**DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA**				
a)	Iron ore		1,00,320	Barbil, Odisha NMDC, CG	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	Coal	Indian	81,510	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		Imported	52,166	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route, Rail & Road
c)	Dolomite		3,135	Raigarh	By Road (Through Covered Trucks)
2.	**FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW**				
a)	Indian Coal		53,460	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
b)	Imported Coal		34,268	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road
	OR				
c)	Dolochar		18,180	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Indian Coal		44,055	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
	OR				
d)	Dolochar		18,180	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Imported Coal		24,863	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road

5. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Unit (Product)		Capacity
1.	DRI Plants (Sponge Iron)		2 x 95 TPD (62,700 TPA)
2.	Power Plant (electricity)	WHRB Based	6 MW (2 x 13.5 TPH)
		FBC Based	8 MW (1 x 36 TPH)

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना हेतु डीआरआई किल्न के साथ डब्ल्यु एचआरबी आधारित पॉवर प्लांट में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफबीसी बॉयलर में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सभी ट्रांसफर प्वॉइन्ट्स, क्रशिंग इकाई, आदि से होने वाले

धुल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ड्राई फॉगिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बर्नर में कमी हेतु तीन स्तरीय कम्बशन, फ्लू गैस रिसरक्युलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार डीआरआई किल्न हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर तथा एफबीसी बॉयलर हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 61 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity (In TPA)	Disposal
Ash from DRI Kiln	11,286	Will be given to brick manufacturers
Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
Kiln Accretion Slag	564	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Wet Scrapper Sludge	2,884	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Ash from power plant (with Indian coal + dolochar)	31,110	Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन {डीआरआई किल्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पॉवर प्लांट में 280 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन} का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 340 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 25/05/2025 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। डीआरआई किल्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन {पॉवर प्लांट से 106 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन} उत्पन्न होगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट

प्लांट (क्षमता 8 घनमीटर) की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 39,942.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2.4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के दौरान विद्युत की आपूर्ति केप्टिव प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एफबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 6 मेगावॉट) से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना से हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारो ओर 15 मीटर की मोटाई में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	22.5	52.5	60
PM_{10}	48.6	87.5	100

SO_2	11.9	26.9	80
NO_2	13.8	39.3	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.2	55.9	75
Night L_{eq}	37.1	43.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 794 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 40 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 834 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.556 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

12. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के आदेश क्रमांक व.प्रा./प्रबंध–570/119 नवा रायपुर दिनांक 27/06/2022 के द्वारा रूपये 49 लाख (5 वर्ष में) की वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 49 लाख (5 वर्ष में) एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आदेशित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव

से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का मैदान, ग्राम–तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान 300–400 लोग उपस्थित हुये। उपस्थित सभी जनसमुदाय द्वारा प्रस्तावित उद्योग का समर्थन किया गया है।

15. लोक सुनवाई तिथी के पूर्व लिखित रूप से 6 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है, जिसमें **निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. प्रस्तावित उद्योग से आस–पास के मतस्य कृषकों के तालाबो/केलो जलाशय क्षेत्र में दूषप्रभाव पड़ेगा।

    ii. इस उद्योग द्वारा स्थानीय लोगों को काई रोजगार नहीं दिया गया है और ना किसी प्रकार का विकास कार्य में खर्च किया गया है। उद्योग से निकलने वाली प्रदुषण से खेत बर्बाद हो गया है ।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

    i. केलो नदी 2.5 कि.मी., समिपस्थ तालाब 4.4 कि.मी. एवं गेरवानी नाला 2.5 कि.मी. की दूरी पर है प्रस्तावित स्थल से कोई नदी नाला नहीं गुजरता है।

    ii. उद्योग में वायु प्रदुषण के रोकथाम के लिए एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखी जाएगी। **औद्योगिक**

दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

समिति का मत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at, **Village- Pali, Chiraipani & Lakha**	

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको–पार्क निर्माण" के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिरईपानी के खसरा क्रमांक 72 क्षेत्रफल 3.407 हेक्टेयर एवं ग्राम लाखा खसरा क्रमांक 204 क्षेत्रफल 17.244 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत ढेलारी के आश्रित ग्राम पाली के खसरा क्रमांक 19 एवं 24 कुल क्षेत्रफल 6.487 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ईको–पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम–चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न–भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग से निकटतम आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं ऑरेंज एरिया की जानकारी हेतु वनमण्डल अधिकारी, रायगढ़ वन मण्डल, रायगढ़ को आवेदन किया गया है।

18. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4567/तक./2022–23 रायगढ़, दिनांक 14/07/2022 अनुसार उक्त प्रोजेक्ट क्षेत्र से निकटतम ग्राम पाली की सड़क मार्ग की दूरी 1.5 कि.मी. है।

19. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वाचक/अ.वि.अ./2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट से सबसे नजदीक ग्राम पाली की वायुमार्ग से दूरी 0.512 कि.मी. एवं सड़क मार्ग से दूरी 1.5 कि.मी है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. प्रस्तावित परियोजना के तहत् कुल क्षेत्रफल का 34.16 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको–पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम–चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न–भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।

3. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। तृतीय, चर्तुथ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लोक सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु प्राथमिकता दिये जाने का कमिटमेंट किया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at, **Village - Chiraipani, Lakha & Pali**	
			Eco Park Development at **Chiraipani**	37.24
			Eco Park Development at **Lakha**	133.89
			Eco Park Development at **Pali**	55.25
			Total	**226.38**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु (1) ग्राम–चिराईपानी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,850 नग पौधों के लिए राशि 9,94,250 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,46,750 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 2,42,500 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 3,99,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 21,82,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,41,362.68 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चिराईपानी में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लाखा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 72 एवं क्षेत्रफल 3.407 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

(2) ग्राम लाखा के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 24,463 नग पौधों के लिए राशि 50,14,915 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,90,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 12,23,150 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 6,46,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 87,74,065 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,14,667.6 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–लाखा में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लाखा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 204 एवं क्षेत्रफल 17. 244 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

(3) ग्राम पाली के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 9,200 नग पौधों के लिए राशि 18,86,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,56,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 4,60,000 रूपये, रख–रखाव एवं अन्य आदि के लिए राशि 3,99,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,01,250 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,24,212.68 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–पाली में ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ढेलारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 19, 24 एवं क्षेत्रफल 6.487 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "that we will allocate similar budget in 4th and 5th year same as budget of 2nd and 3rd year." का उल्लेख है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 4 में "That the company has prepared Wild life conservation plan for 5 years; which is duly approved by PCCF [wildlife], Forest Department." का उल्लेख है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 5 में "That we will prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit." का उल्लेख है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30/09/2023 के बिन्दु क्रमांक 6 में "That whatsoever amount approved by approving authorities will be deposited in "State CAMPA" fund for Wildlife conservation." का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज को ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 26/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स नवागांव भावगीर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहम्मद रफिक), ग्राम–नवागांव भावगीर, तहसील व जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2433)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429809/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव भावगीर, तहसील व जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–26,169 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद रफिक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–250 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12/06/2015

को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/10/2015 तक वैध थी। तत्पश्चात् दिनांक 26/12/2016 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा उत्खनन क्षमता– 26,169 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1395/खलि–1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	1,085
2019–20	268
2020–21	2,012
2021–22	111
2022–23	964

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव भावगीर का दिनांक 09/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1899/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 997/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 999/खनिज/ख. लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री मो. रफीक के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/2684 कांकेर, दिनांक 28/07/2009 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वन विभाग से वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट बताया गया कि वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर खदान होने से ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कांकेर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। दूध नदी 500 मीटर एवं मनकेशरी बांध 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,04,939 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,14,445 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,207.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं

कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,668.0	षष्टम	15,444.0
द्वितीय	10,202.4	सप्तम	24,230.7
तृतीय	13,260.0	अष्ठम	25,006.8
चर्तुथ	17,238.0	नवम	26,169.0
पंचम	7,468.0	दशम	9,256.0

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 90,493.92 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 840 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 58,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रूपये, खाद के लिए राशि 8,400 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 56,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,83,900 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,50,880 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग में समाहित करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, Government Primary School at, **Village- Navagaon Bhavgir**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

19. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21. समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:–

i. खनिज विभाग द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) के अनुसार "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर" का उल्लेख है। डैम अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर डैम से 50 मीटर पर उत्खनन पाया गया तथा लीज के बाहर डैम की तरफ भी उत्खनन किया जाना पाया गया है। साथ ही लीज सीमा के चारो ओर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी में बांध की तरफ भी उत्खनन कार्य किया गया है।

ii. के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर समिति द्वारा पाया गया कि क्रशर का अधिकांश भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी में स्थापित है। जबकि माईनिंग प्लान अनुसार 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी को छोड़कर क्रशर को लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना था।

उपरोक्त दोनो बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

iii. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला–कांकेर के प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन क्षेत्र से खदान की दूरी संबंधी जानकारी का उल्लेख) प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

iv. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। समिति का मत है कि डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

समिति का यह भी मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है।

v. समिति का मत है कि मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाना आवश्यक है।

22. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था किः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किया गया। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है तो अब उक्त प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाए।
8. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को भी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया गया एवं समय–समय पर खनि निरीक्षक एवं माईनिंग अधिकारी इसका जाँच किया करते हैं। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन यथासंभव प्रयास किया गया एवं भविष्य में किया जावेगा। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/5218 कांकेर, दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–
   - आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित एवं असीमांकित वनखंड नहीं है।
   - आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के खड़े वृक्ष है।
   - आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है।
   - आवेदित क्षेत्र वनभूमि के अंतर्गत नहीं आता है।
4. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है जो की साधारण ब्लास्टिंग है इसके लिए डीजीएमएस से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यदि ब्लास्टिंग या उत्पादन का स्तर एवं खनन की गहराई ज्यादा हो तो डीजीएमएस से अनुमति आवश्यक होती हैं। आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं, इस संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 810, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार "केशर प्लांट लगभग 16 वर्ष से संचालित है। चूंकि वर्तमान खुदाई बांध के विरुद्ध दिशा में किया जा रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए बांध के सुरक्षा दृष्टिगत् क्रेशर प्लांट से कोई खतरा प्रतीत नही हो रहा है।" का उल्लेख है।
6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है। अतः लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426822/ 2023, दिनांक 21/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,50,036 टन (92,605.93 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का दिनांक 06/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के

ज्ञापन क्रमांक 953/ख.लि.2/स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर हैं।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई.** – एल.ओ.आई. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 800 /ख.लि.–03/2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 88 श्री चैतराम व श्रीमती आशामोती एवं खसरा क्रमांक 115 श्रीमती मु. सिघारी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./6790 धरमजयगढ़, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर, वन्यजीव अभ्यारण्य से 160 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमीपाली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–झुलनबर 1 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 4.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 330 मीटर, माण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 2.4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,97,820 टन, माईनेबल रिजर्व 4,43,542 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,21,365 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,825 घनमीटर है, जिसमें से 1,367.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में

फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 1,457.40 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 92, रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,50,036
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	2,077
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,039

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 77,100 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 65,000 रूपये, खाद के लिए राशि 38,550 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,20,650 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,14,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">18.09</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">0.3618</td><td colspan="2">Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Semipali Khurd</td></tr>
<tr><td>Donation of books related to Environment Conservation & Almira</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>0.41</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.51</td></tr>
</table>

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में जो वृक्ष विद्यमान है उन्हे सुरक्षित रखने एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर एक वृक्ष महुआ, दो वृक्ष बबूल एवं कांटेदार झाड़ियां स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. कार्य के लिए प्रस्तावित स्कूल में वृक्षारोपण की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने एवं सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रपोजल अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किये जाने तथा उन रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के तहत् खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude फोटोग्राफ एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए परियोजना प्रस्तावक बाध्य रहेगा।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं उक्त प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

37. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 955/ख. लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेमीपाली) का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेमीपाली) को मिलाकर कुल रकबा 3.543 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. लीज क्षेत्र में वृक्ष अधिक है। वृक्षों की प्रजाति का संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.52 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,50,036 टन (92,605 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2023 को संपन्न 151वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. **As per proposal, project land belongs to Shri Chaitram, Smt Ashamoti and Smt Sighari Bai and copy of an agreement with respective land holders has been submitted. We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance.**

2. **Project proponent has submitted that Forest Land is located at a distance of 350 meters as per N.O.C. obtained from D.F.O., Dhamtari. Therefore it is viewed that distance from project land should/must be in accordance with the guidelines and rules made under F.C.A., 1980. To comply with guidelines, Project Proponent is directed to submit the proposal keeping requisite distance from the Forest Land to avoid any disturbance to flora**

and fauna and for Wildlife protection, along with action plan for conservation of flora and fauna.

3. Project proponent shall ensure mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.
4. It has been submitted that 07 cubic meter water per day shall be required for the instant project and water shall be made available through borewell and N.O.C. of C.G.W.A. has been submitted by Project Proponent. As per National Water Policy only surface water can be utilized for industrial purposes. Therefore Project Proponent is directed to clarify the source of water for the mining (industrial) project.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

1. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, धरमजयगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जारी पत्र अनुसार "स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें धौरा, सेन्हा एवं अन्य छोटी झाड़ियां मौके पर पाया गया। चूंकि वर्तमान में बरसात सीजन होने के कारण उक्त क्षेत्र KML गूगल अर्थ में घना प्रतीत हो रहा है।" होना बताया गया है।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत् Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक–पृथक रनिंग वाटर फेसीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Semipali Khurd	

			Runing Water Facility for Boys Toilets	0.15
			Runing Water Facility for Girls Toilets	0.20
			Plantation	0.41
			Total	**0.76**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **प्राधिकरण द्वारा नोट किये गये तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का निम्न मत है:–**

- विचाराधीन प्रकरण में उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के अनुबंध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एल. ओ.आई. जारी की गई है।

- विचाराधीन प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही संबंधित खदान की दूरी वन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक है। अतः प्रस्तावित लीज क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।

- विभिन्न संरचनाओं से न्यूनतम दूरी बाबत् – छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) में निम्न प्रावधान है:–

  "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर या ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर:" का उल्लेख है।

  विचाराधीन प्रकरण में सार्वजनिक क्षेत्र यथा स्कूल, हेल्थ सेंटर आदि की दूरी उपरोक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक होने, प्रस्तावित खदान अपेक्षाकृत छोटे लीज क्षेत्र का होने तथा खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की सक्षम व्यवस्था करने के कारण Mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc. की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

- जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि **MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development And Ganga**

Rejuvenation) (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), New Delhi द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 में निम्न प्रावधान है:–

"Exemptions from seeking No Objection Certificate: (v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day."

विचाराधीन प्रकरण में जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन से कम है। अतः औद्योगिक क्रियाकलापों (जल छिड़काव) में पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदाशय के अनुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय के अंतर्गत आवेदित प्रकरण में शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने हेतु विचार किया गया, जो निम्नानुसार है:–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को आयोजित की गई थी। उक्त कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 "**मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391)**" के प्रकरण में **पृष्ठ क्रमांक 92 पर समिति के निर्णय में** शुद्धि पत्र (corrigendum) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत् सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में रनिंग वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। तदाशय के अनुसार पूर्व में अनुशंसित पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।"

के स्थान पर

"**समिति द्वारा पाया गया कि** प्राधिकरण द्वारा "We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance." के settled procedure हेतु बिन्दु उठाये गये है। उक्त के संबंध में

समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में आवेदित खदान हेतु जारी एल.ओ.आई. /सहमति प्राप्त भूमि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति (सहमतिकर्ता) की भूमि है।

अतः **समिति द्वारा पुनः विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक द्वारा **settled procedure** का समुचित पालन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में कलेक्टर, जिला–रायगढ़ से जानकारी मंगाये जाने के लिए पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा **settled procedure** का समुचित पालन नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST Category) के पर्यावरणीय हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए प्रस्ताव सहित) पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।" ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 5(घ) के तहत् समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 29/10/2014 के अधीन समिति स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ को सम्मिलित करते हुये चार सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। चार सदस्यीय समिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः समिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कलेक्टर, जिला–रायगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

पढ़ा जाये।

साथ ही समिति द्वारा यह भी पाया गया कि समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 का अनुमोदन होने के कारण वर्तमान में आवेदित प्रकरण (ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426822/ 2023, दिनांक 21/04/2023, **सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391**) तकनीकी दृष्टिकोण से परिवेश पोर्टल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष है।

अतः **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पुनः विचार किये जाने हेतु वापस भेजे जाने बाबत् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/10/2023 को संपन्न 158वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/10/2023 के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही श्री पंकज सिन्हा, कोरबा द्वारा दिनांक 12/09/2023 को आवेदित प्रकरण हेतु शिकायत प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ शिकायत /निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. श्री पंकज सिन्हा, पिता श्री निशचल सिन्हा, पता–मकान नंबर सी 225, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर, निहारिका कोरबा, जिला–कोरबा द्वारा "मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को नियम विरूद्ध लीज स्वीकृत की शिकायत व कार्यवाही बाबत्।" के संबंध में दिनांक 12/09/2023 को शिकायत प्राप्त हुआ है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 (रकबा 0.82 हेक्टेयर) व खसरा क्रमांक 115 (रकबा 1.16 हेक्टेयर) कुल रकबा 1.52 हेक्टेयर पर उत्खनिपट्टा देने में विशेष कृ पा दृष्टि बरती गयी है। छतीसगढ़ parivesh.nic.in पर अपलोडेड प्रपोजल क्रमांक 426822 व फाईल क्रमांक 2391 के पैराग्राफ 15 की कंडिका 1 से 8 का विस्तृत अध्ययन करने पश्चात् निम्न गलतियाँ पायी गयी है–

   (1) सहमति पत्र में मात्र 88 नंबर खसरा वाले भूमि स्वामी से सहमति ली गयी है या तो खत्तरा क्रमांक 115 (रकबा 1.16 हेक्टेयर) वाले भू–स्वामी की सहमति पत्र अपलोड नहीं किया गया है या 115 खसरा भू–स्वामी से सहमति ली ही नहीं गयी है?

   (2) सहमति पत्र में मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किये है ये स्पष्ट नहीं है, सहमति पत्र में दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पद, आधार नंबर पैन कार्ड का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्त कमियों के आधार पर नोटरी दस्तावेज सम्पादित कैसे हुआ, इस अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर लीज स्वीकृत कैसे हुई?

   (3) सहमति पत्र में किसानों को दी जाने वाली राशि का उल्लेख भी नहीं है अजीब विडंबना है की राशि का उल्लेख किये बिना नोटरी कैसे सम्पादित हुई और उसी नोटरी के आधार पर लीज भी स्वीकृत हुई?

   (4) सहमति पत्र में भू–स्वामी का आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र इत्यादि का उल्लेख नहीं है और न ही सहमति पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति सलग्न है उक्त कृत्य अपूर्ण दस्तावेज की श्रेणी में आते है, इस तरफ सभी बोर्ड मेम्बर का ध्यान क्यों नहीं गया?

(5) सहमति पत्र को पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है मात्र 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी दस्तावेज निष्पादित करवाकर खानापूर्ति की गयी है, नोटरी दस्तावेज में गवाह के नाम व पते तक का उल्लेख नहीं है सिर्फ गवाह के हस्ताक्षर करके दस्तावेज निष्पादित किया गया है उक्त कमियों के कारण नोटरी पत्र भी पूरी तरह अवैध व फर्जी दस्तावेज की श्रेणी में आता है उक्त अवैध दस्तावेज के आधार पर लीज कैसे स्वीकृत हुई ?

(6) लीज के आवेदन के साथ सलग्न खसरा बी–1, पी–2 और नक्शा आदि को किसी लोक सेवा केंद्र, पटवारी, राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार से सत्यापित नहीं करवाया गया है, ऐसा लगता है कि बी–1, पी–2 और नक्शा आदि दस्तावेज से छेड़छाड़ की गयी है जिसका साक्ष्य इस शिकायत पत्र की कडिका 8 में है अपूर्ण व आधे अधूरे दस्तावेजों के आधार पर लीज कैसे स्वीकृत हुई?

(7) मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा इस लीज को सम्पादित करने के लिए और अन्य शासकीय कार्यों के लिए किसे अधिकृत किया गया है ये भी स्पष्ट नहीं है, मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन ने ऐसा कोई साक्ष्य (रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा) भी पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो अमुक व्यक्ति मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, बिना रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा के लीज स्वीकृत कैसे हुई ?

उक्त खसरा क्रमांक 88 का छत्तीसगढ़ की मिसल साईट https://revenue-cg-nic-in/missal पर अवलोकन करने पर पता चलता है की खसरा नंबर 88 तो मात्र 25 डिसमिल /0.10 हेक्टेयर का ही है पर आपके समक्ष उसी खसरे को 203 डिसमिल /0.82 हेक्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है, 25 डिसमिल / 0.10 हेक्ट का खसरा कैसे 203 डिसमिल/0.82 हेक्टेयर का हो गया, जांच का विषय है? https://revenue-cg-nic-in/missal से प्राप्त मिसल रिकॉर्ड इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न है। इतनी बड़ी व भारी गलती के बाद भी लीज केसे स्वीकृत हुई?

(9) उक्त भूमि पटवारी रिकॉर्ड में गिरदावरी में चिन्हांकित है, जो की यह दर्शाता है की उक्त जमीनों पर धान की खेती हो रही है और उसी धन को शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान दरों पर बेचा भी जायेगा। यह कैसे सम्भव है की उक्त जमीनों पर खेती भी हो रही है और पत्थर उत्खनन भी इस गलती को शासन किस प्रकार परिभाषित करेगा ?

(10) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्ररूप नौ की कंडिका अठारह (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के सन्दर्भ मे प्रतिवेदन में माइनिंग इन्स्पेक्टर श्री बबलू पाण्डेय ने निकट स्थित अन्य माइस (मेसर्स सुनील अग्रवाल) से दूरी 100 मीटर बताई है पर आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर व 200 मीटर की परिधि की जानकारी बाबत में वही दूरी 120 मीटर बताई है उक्त गलती किस प्रकार परिभाषित होगी?

उक्त कमियों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि लीज देने में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग हुआ है और बहुत हद तक सम्भव भी है की एक अच्छी खासी मोटी रकम स्थित के रूप में सरकारी अधिकारीयों को भेंट की गयी हो।

अतः मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को फर्जी आधारहीन व गलत जानकारी प्रस्तुत कर लीज को स्वीकृत करने के आरोप में दण्डित किया जावे और उक लीज तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए।"

समिति के संज्ञान में यह तथ्य गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/01/2024 द्वारा "प्राप्त, पंकज सिन्हा, पिता निश्चल सिन्हा पता– मकान नं.

C-225, सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर निहारिका, कोरबा छत्तीसगढ़ के शिकायत को निराधार मानना एवं उपरोक्त के नाम एवं पता को भी निराधार मानते हुये पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु।" के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा खसरा क्रमांक 88 एवं 115 (भाग) में कुल 1.52 हेक्टेयर हेतु आशय पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके भूमि स्वामी की सहमति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की गई है एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान भी, प्रस्तुत की गई है।

2. मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन भोपाल के द्वारा वैध सहमति पत्र की मूल प्रति उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु कार्यालय कलेक्टर, माइनिंग शाखा रायगढ़, में आवेदन किया गया। जिसमें भूमि स्वामियों के सहमति की जाँच प्रतिवेदन के उपरांत ही उत्खनि पट्टा हेतु दिलीप बिल्डकॉन के पक्ष में, सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है तथा पूर्व में आपके कार्यालय के द्वारा भी भूमि स्वामियों की हितों की रक्षा हेतु जाँच करा ली गई है। जाँच उपरांत संपूर्ण प्रपत्रों को आपके कार्यालय में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. महोदय, सहमति पत्र मात्र, लीज बनाने हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को, सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्त सहमति में अपनी जमीन को लीज बनाने के लिये सहमति दाता, सहमति प्रदान करता है। महोदय पूर्व में आपके कार्यालय में सहमति दाता के हितों की पूर्ति की जाँच की जा चुकी है। जाँच उपरांत सहमति दाता को भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित प्रपत्र आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

4. महोदय, सहमति पत्र प्रदान करने वाले भूमि स्वामियों का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र उनकी फोटो के साथ नोटरी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर, नोटरी अधिकारी द्वारा पुष्टि कर लेने के पश्चात् ही नोटरी किया गया है।

5. महोदय, 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर दो गवाहों के समक्ष नोटरी अधिकारी के समक्ष, भूमिस्वामियों की उपस्थिति में वैध दस्तावेज निष्पादित किया गया है। जिसे पूर्व में आपके कार्यालय द्वारा सहमति दाता के हितों की पूर्ति की जाँच करा ली गई है एवं सहमति पत्र को पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता, लीज निष्पादन, कार्य में आवश्यकता नहीं होती है।

6. लीज आवेदन के साथ संलग्न B-I, P-II एवं लीज आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसके जाँच उपरांत ही सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

7. मेसर्स, दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा इस लीज को संपादित करने के लिए और अन्य शासकीय कार्यालयों के लिए, अधिकृति प्रतिनिधि के कंपनी द्वारा दिये गये अधिकार पत्र को प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. ग्राम सेमीपाली खसरा क्रमांक 88 का वर्तमान B-I एवं P-II आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसका रकबा राजस्व कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा जाँच उपरांत ही सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है। महोदय ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ खसरा क्रमांक 88 को राजस्व रिकार्ड, ऑनलाईन पोर्टल भुंइय्या कार्यक्रम पर भी देखकर पुष्टि की जा सकती है। जिसकी डिजीटल सिग्नेचर युक्त प्रति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

9. उक्त भूमि में पत्थर होने के कारण, भूमि स्वामियों के द्वारा, लीज बनाने हेतु प्रदान की गई है। भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा की जाँच पूर्व में ही करा ली गई है तथा उक्त भूमि पर लीज निष्पादन के उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जा सकेगा।

10. महोदय, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा को प्राप्त आवेदन के अनुसार मेसर्स सुनील अग्रवाल की खदान आवेदित खदान से 120 मीटर की दूरी पर ही है। जिसकी प्रति आपके कार्यालय में पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है।

महोदय, उक्त अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किये गये कृत्य से स्पष्ट होता है कि किसी के भी द्वारा कुछ भी नाम एवं पता लिखकर जानबूझकर परेशान व शासन प्रशासन को भ्रमित करने की मंशा से जानकारी चाही जाती है एवं शिकायत की जाती है। इससे मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के द्वारा सरकार की भारत माला जैसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।

आपके कार्यालय द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु सभी प्रपत्रों की पुष्टि के उपरांत ही, इस आवेदन के लिये, कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करके जाँच की जा चुकी है तथा पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा भी की जा चुकी है। उक्त शिकायत को मेरे द्वारा, शिकायत की अज्ञात शिकायतकर्ता के रूप में थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा उनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार गलत ठहराया जा चुका है

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं के स्पष्टीकरण को संज्ञान में लेते हुये आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ द्वारा आवेदित खदान में प्राप्त उपरोक्त शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1753/एस.ई.ए.सी., छ.ग./रायगढ़/2391 नवा रायपुर अटल नगर, दिनाक 26/11/2023 के पालनार्थ समिति के सदस्यों ने दिनांक 25/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक व अन्य उपस्थित ग्रामीणों के साथ प्रतिवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में समिति के सदस्य, श्री किशन सिंह ध्रुव, श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, श्री अंकुर साहू क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ के साथ–साथ परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य उपस्थित थे।

- परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 467वीं बैठक दिनाक 24/05/2023 को परियोजना की स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दी गई जिसके आधार पर समिति द्वारा खदान बी–2 श्रेणी की मानी गई। क्षेत्र में वृक्षों की संख्या गणना कर प्रस्तुत करने की शर्त पर मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन को ग्राम–सेमीपाली, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115 (पार्ट) निजी भूमि में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान

कुल क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर पर उत्खनन क्षमता 2,50,936 टन (92.605 घनमीटर) प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

- समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण में दिये गये अनुशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छ.ग. के 115वीं बैठक दिनांक 07/07/2023 को विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया।
- प्राधिकरण ने विचार विमर्श पश्चात् निम्नलिखित टीप कर पुनः परीक्षण हेतु एस.ई.ए.सी. को वापस की गई।

1. Whether the subject land belongs to general category or Sc-/St- which required to be verified before considering the proposal. if subject land/project land belong to the Trible communities in that case we need to see whether a sattled procedure has been adopted for obtainning consent of the land owners or not.
2. वृक्षों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

- प्राधिकरण के टीप के आधार पर समिति में पुन विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने के शर्त पर पर्यावरण सम्मति हेतु पुनः प्राधिकरण को भेजी गई।
- उपरोक्तानुसार प्राधिकरण/समिति के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांगी गई जानकारी दिनांक क्रमशः दिनाक 13/07/2023 एवं 07/08/2023 को प्रस्तुत की गई।
- जानकारी प्राप्त होने पर समिति की 481वी बैठक दिनाक 11/08/2023 को पुन कुछ बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक को अतिरिक्त जानकारी देने हेतु निर्देशित करते हुए स्वीकृति देने की अनुशंसा की गई।
- पुनः दिनांक 23/08/2023 को अनशंसित प्रकरण को विचार विमर्श कर 481वीं बैठक में लिए गए निर्णय को संशोधन कर स्थल निरीक्षण हेतु समिति का गठन एवं (सेटल्ड प्रोसिजर) Settled Procedure का पालन करने संबंधी जानकारी जिला कार्यालय से मंगाई गई।
- इसी निर्णय के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा दिनाक 26/11/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया।

(ज्ञात हो कि उक्त समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण अनुमोदन पश्चात् दिनांक 11/08/2023 को प्राधिकरण से पुनः नस्ती मंगाकर 23/08/2023 कार्यवाही विवरण में संशोधन किया गया)

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी./एस.ई आई.ए.ए. को प्रस्तुत समस्त जानकारी स्थल निरीक्षण के समय प्रस्तुत की गई। विवरण निम्नानुसार है–

1. पंचायत प्रस्ताव
2. वन मंडलाधिकारी के द्वारा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र
3. सी.ई.आर. के अंर्तगत किये जाने कार्य की संशोधित जानकारी
4. भूमि स्वामी का सहमति पत्र

5. शासन द्वारा निर्धारित सेटल्ड प्रोसिजर का पालन करने संबंधी जानकारी

6. वृक्षों की संख्या के संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी का प्रतिवेदन

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज /पर्यावरण नियमों का समुचित पालन किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत

8. ए.ओ.ई.एफ. के निर्देश अनुसार भारत के किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

निरीक्षण के समय यह भी नोट किया कि प्रतिवेदित क्षेत्र में कुछ बरसाती झाड़ी जैसे धौरा, सेनहा एवं कोरई के छोटे–छोटे झाड पाये गए।

- प्रतिवेदित भूमि निजी है फोरेस्ट के अंतर्गत नहीं है। 250 मीटर के अंतर्गत कोई जंगल नहीं है। निरीक्षण में आस–पास के क्षेत्र भी निजी भूमि होना अवलोकित किया गया है। जिसके कारण गूगल मैप में जंगल होने का आभास होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है (परिक्षेत्र अधिकारी का डी.एफ. ओ. को प्रस्तुत प्रतिवेदन)

- उक्त झाड़ियों की कटाई/सफाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर की गई। इस प्रकार प्राधिकरण / समिति द्वारा मांगी गई सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के संशोधित प्रस्ताव एवं कार्यालय कलेक्टर से सेटल्ड प्रोसिजर के पालन संबंधी जानकारी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

- ज्ञात हो कि इस परियोजना से प्राप्त गौण खनिज का उपयोग एन.एच.ए. आई. द्वारा प्रस्तावित भारतमाला प्रोजेक्ट (जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व के हैं) के अंतर्गत सड़क निर्माण में किया जावेगा।"

3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3023/ख.लि. –1/2023 रायगढ़, दिनांक 12/12/2023 के अनुसार "मेसर्स दिलीप बिल्डाकॉन लिमिटेड के द्वारा उपरोक्त खसरा क्रमांक 88 एवं 115 का अनुबंध किया गया है। जिसका अनुविभागीय अधिकारी (रा०) धरमजयगढ़ से परियाजना प्रस्तावक द्वारा settled Procedure का समुचित पालन किया गया है कि नहीं, के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया, के सबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ द्वारा संदर्भित पत्र क्रमाक 03 में खसरा क्रमाक 88 एवं 115 का अनुबंध कर के अनुबंधित राशि को अनुबंधदाता भुवन राम मांझी, पिता नहरसाय तथा लोहर साय पिता नैहरताय, बेतराम पिता सुखराम तथा आशामांती पिता सुखीराम के खाते में चेक एवं आर.टी.जी.एस. के द्वारा भुगतान किया गया है तथा मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के परियोजना प्रस्तावक द्वारा Settled Procedure का समुचित पालन जाना प्रतिवेदित किया गया है।" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। पूर्व में निहित की गई शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स), ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2642)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /440723 /2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलवीर सिंह बैन्स, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 260 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	
01/07/2018 से 31/12/2018	
01/01/2019 से 30/06/2019	
01/07/2019 से 31/12/2019	24
01/01/2020 से 30/06/2020	90
01/07/2020 से 31/12/2020	50
01/01/2021 से 30/06/2021	60
01/07/2021 से 30/09/2021	30
01/10/2021 से 31/03/2022	निरंक
01/04/2022 से 30/09/2022	850

समिति का मत है कि सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत पतेरापाली का दिनांक 22/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभारी खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1208/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 30/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं. /2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बलवीर सिंह बैस के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 19/07/2006 से 18/07/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज़ डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/2016 से 18/07/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की जाती है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3066 महासमुंद, दिनांक 18/08/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पतेरापाली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–पतेरापाली 1 कि.मी. एवं अस्पताल खरियार रोड़ 8.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.65 कि.मी. दूर है। जोंक नदी 5.6 कि.मी., मौसमी नाला 1.4 कि.मी., नहर 4 कि.मी. एवं तालाब 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,91,232 टन (1,50,474 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,10,705 टन (81,040 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,89,634 टन (72,936 घनमीटर), था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 3,88,043 टन (1,49,247 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,07,515 टन (79,813 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,86,764 टन (71,832 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,995 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। हि–लॉक की औसत ऊचाई 9.5 मीटर एवं भू–तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा 1,595.5 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,050.24 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 545.26 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को समीपस्थ सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 71/1, 71/9 एवं 102/7, क्षेत्रफल 0.35 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक

हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	20,373.60
2024–25	20,373.60
2025–26	20,373.60
2026–27	20,373.60

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 591 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 260 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 331 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (331 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	33,100	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	50,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	29,550	29,550	29,550	29,550	29,550
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य कार्य हेतु		5,000	–	–	–	–
कुल राशि = 12,35,850		**3,17,650**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 262 वर्गमीटर क्षेत्र में चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लाम में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.11	2%	0.20	Following activities at Nearby Village Pond, Village- Paterapali	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यों हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पतेरापाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 681, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 560 मीटर तथा नहर 4 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1 कि.मी., अस्पताल 8.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 700 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं

आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपना कर कम किया जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1751/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अक्टूबर, 2022	निरंक
नवम्बर, 2022	
दिसम्बर, 2022	
15 जनवरी, 2023	
नोट 15 जनवरी, 2023 को पर्यावरण सम्मति समाप्त होने उपरांत पट्टेदार द्वारा खदान से उत्पादन नहीं किया जा रहा है।	

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत् सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानो की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मुख्तियारपारा) का क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में

स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–20,373 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सद्रस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

**मेसर्स जावंगा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री टी. रमेश)
को खसरा क्रमांक 287, कुल लीज क्षेत्र 1.4 हेक्टेयर, ग्राम–जावंगा, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 76,751 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.4 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 76,751 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29.9	2%	0.59	Following activities at Nearby Govt middle School, **Village- Javanga**	
			Plantation	0.59
			Total	**0.59**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव कार्य हेतु राशि 6,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रूपये हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 नग पौधों का रोपण (कुल 1,300 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR SPONGE IRON PLANT (2X95 TPD DRI KILN) OF CAPACITY-62,700 TONNES / YEAR, POWER PLANT OF CAPACITY- 14 MW (WHRB BASED (2 X 13.5 TPH)- 6 MW & FBC BASED (1 X 36 TPH)- 8 MW) OF M/S VINAYAKA IRON AND STEEL INDUSTRIES, VILLAGE - PALI, TEHSIL & DISTRICT - RAIGARH

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Industry shall provide ESP in DRI kiln and in thermal power plant of adequate capacity with minimum 50 meter & 61 meter stack height respectively to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments (like bag filter of adequate capacity) at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be properly covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not

be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter in sponge iron plant	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
Particulate Matter in power plant	30 mg/Nm3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
SOx & NOx in power plant	100 mg/Nm3 (Hundred Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, Ferro Alloys etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of

Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units. Cinder shall be given to brick manufacturing units.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Project proponent shall follow the guidelines issued by MoEF&CC dated 31.12.2021 and 30.12.2022 for utilization of fly ash.

vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vii. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 33% (1.83 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">11,000</td><td rowspan="5">Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%</td><td rowspan="5">215</td><td colspan="2">Following activities at, Village - Chiraipani, Lakha & Pali</td></tr>
<tr><td>Eco Park Development at Chiraipani</td><td>37.24</td></tr>
<tr><td>Eco Park Development at Lakha</td><td>133.89</td></tr>
<tr><td>Eco Park Development at Pali</td><td>55.25</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>226.38</td></tr>
</table>

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall ensure that as per the Wildlife conservation plan mentioning the budget in the 2nd and 3rd year will alocate the similar budget in the 4th and 5th year. Project proponent shall not disturb the forest landscape of the vicinity. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

iv. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

v. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

vi. No additional land shall be acquired for this project.

vii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

viii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ix. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

x. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xiii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xvi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xx. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28, कुल लीज क्षेत्र 1.3 हेक्टेयर, ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 20,373 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.3 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,373 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
10.11	2%	0.20	Following activities at Nearby Village Pond, **Village- Paterapali**	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यो हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पतेरापाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 681, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 591 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में

किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 260 नग पौधों का रोपण (कुल 851 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षो तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.